



राजस्थान सरकार
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, राजस्थान, जयपुर
फोन न. 0141-2221463, Email ID: uhcrajasthan@gmail.com



F- 42(21)/NHM/H&WC/Training/2020-21/ 1374

दिनांक:- 5/02/22


आदेश

आदेश क्रमांक 803 दिनांक 10.05.2021 के अन्तर्गत चयन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों को कार्य व्यवस्थार्थ लगाये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त आदेश के अन्तर्गत चयनित सूची में शामिल वे अभ्यर्थी जिन्होंने पूर्व से ही IGNOU के अतिरिक्त अन्य University के माध्यम से सफलतापूर्वक Bridge Programme Certificate Course in Community Health for Nurse (Bridge Course) कर रखा है, उन 9 एवं 6 अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में क्रमशः स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार को पत्रांक 1125 दिनांक 25.10.2021 एवं RUHS को पत्रांक 1126 दिनांक 25.10.2021 के द्वारा सत्यापन करवाया जा रहा है।

उक्त सत्यापन प्रक्रिया में अभी और समय लगने की सम्भवना है ऐसे स्थिति में निम्न अभ्यर्थियों को ब्रिज कोर्स करवाये जाने के लिए अवसर दिया जाता है। यदि अभ्यर्थी विभाग द्वारा प्रायोजित ब्रिज कोर्स करना चाहता है तो अपनी सहमति 3 कार्य दिवस में bpcchn2021@gmail.com पर भिजवाना सुनिश्चित करें।


S.No.	Candidate Name	Roll. No.	University Name
1	Rajuram	109036	Bharat Sevak Samaj
2	Prabhu Ram	101862	JNU
3	Priyanka Meena	610365	Mansa Vocational Training Center
4	Dharmendra Kumar Bairwa	607175	PBDSUHS, Rohtak
5	Kavita	640939	RUHS
6	Madhu kumari	620375	RUHS
7	Ilesh Joshi	505017	Sumandeep Vidhyapeeth
8	Ramdev Kumhar	303017	NIOS
9	Sattar khan	632327	NIOS
10	Devendra Singh Shekhawat	633674	NIOS

यदि अभ्यर्थी प्रतिक्षारत रहकर विभाग द्वारा प्रायोजित ब्रिज कोर्स नहीं करता है एवं भारत सरकार से सत्यापन नकारात्मक प्राप्त होने की स्थिति में उक्त अभ्यर्थियों की सीएचओ भर्ती, 2020 में उम्मीदवारी स्वतः ही निरस्त हो जायेगी।


(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
मिशन निदेशक, एनएचएम
एवं संयुक्त शासन सचिव
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प0 क0

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. निजी सचिव, संयुक्त सचिव, योजना भारत सरकार नई दिल्ली।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान सरकार।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान सरकार।
4. निजी सहायक, संयुक्त शासन सचिव, चिकि. स्वा. एवं मिशन निदेशक, एनएचएम।
5. निजी सहायक, परियोजना निदेशक, एनएचएम।
6. रजिस्ट्रार, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (RUHS) जयपुर।
7. सलाहकार, विधिक एनएचएम।
8. सर्वर प्रभारी कक्ष को सम्बन्धित को ई-मेल एवं वेब साईट पर अपलोड करने हेतु।
9. रक्षित पत्रावली।


(डॉ० महेश सचदेवा)
राज्य नोडल अधिकारी
H&WC